झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं0:–06432-232680 फैक्स–06432-232967 ई–मेल:–dcdeoghar@gmail.com

आदेश

कोरोना वायरस की संक्रमण की आशंका को देखते हुए पूरे भारत में ताला बन्दी (Lock Down) की गई है। ताला बन्दी (Lock Down) के दौरान बाहर से आये लोगों को Quarantine करने के लिए प्रत्येक प्रखंड में Quarantine Center पूर्व से चिन्हित किये गये है। वर्त्तमान स्थिति में ताला बन्दी (Lock Down) के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, जो ताला बन्दी का घोर उल्लंघन करते हुए समूह में आ रहे है। ऐसे प्रवासी मजदूरों को सीमा पर ही रोककर Quarantine किया जाना हैं।

अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने प्रखंड में सीमा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए दो–तीन Quarantine Center (Relief Camp की तरह) तैयार कर रखेंगे, जहाँ बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त खाने–पीने की व्यवस्था भी की जायेगी। यहाँ प्रवासी मजदूरों के पहुंचने पर उनकी जाँच करते हुए Quarantine करने की कार्रवाई की जायेगी।

इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर पंचायत भवन को अतिरिक्त Quarantine Center के रूप में तैयार कर रखेंगे।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करते हुए अपर समाहर्त्ता, देवघर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायेगे।

31/3/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर

ज्ञापांक...391.../गो०, देवघर , दिनांक...31......मार्च, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर/उप विकास आयुक्त, देवघर/अपर समाहर्त्ता, देवघर/अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर एवं मधुपुर/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, देवघर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर/प्रचार–प्रसार कोषांग, देवघर/सभी अंचलाधिकारी, देवघर जिला को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर